

अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया ।

- क्रेडा द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं के लिये पूर्णरूपेण प्रस्ताव तैयार कर अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। प्रस्ताव स्वीकृत होने की दशा में या स्वीकृति की प्रत्याशा में परियोजनाओं का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है । विभिन्न परियोजनाओं के लिये राज्य शासन का भी अनुदान देय होता है । अनुदान की दरें शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित की जाती है, एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये क्रियान्वयन वर्ष की अनुदान दरें लागू रहती है।
- प्रधान कार्यालय से मार्केट मोड के अंतर्गत ही नियत सामग्रियों पर अनुदान वियुक्त दिया जाता है, जिसके हितग्राहियों की सूची उपलब्ध है।



छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)

प्रधान कार्यालय

ऊर्जा शिक्षा उद्यान के पास, व्ही.आई.पी. रोड, रायपुर (छ.ग.)

Phone- 8370009923, E-Mail :- contact.creda.gov.in, Website:-www.creda.co.in

क्रमांक 6240 / क्रेडा / अनुदान / सा.प्रशा. / 2023-24
प्रति,

रायपुर, दिनांक:

2023

- 1-अधीक्षण अभियंता
क्रेडा, जोनल कार्यालय (समस्त).....(छ.ग.)
- 2-कार्यपालन अभियंता
क्रेडा, क्षेत्रीय कार्यालय (समस्त).....(छ.ग.)
- 3-सहायक अभियंता / जिला प्रभारी
क्रेडा, जिला कार्यालय (समस्त).....(छ.ग.)

विषय:-

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु वर्ष 2023-24 के लिये अनुदान की दरें।

संदर्भ:-

1. क्रेडा, सा. प्रशासन रायपुर का पत्र क्र. 21980, दिनांक 20.03.2023
2. क्रेडा, सा. प्रशासन रायपुर का पत्र क्र. 14561 दिनांक 10.11.2022

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुदान की दरें जारी की गई थी।

प्रधान कार्यालय द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय अनुसार राज्य शासन को संदर्भित पत्र क्र. 01 के द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग के प्रशासकीय अनुमोदन तथा क्रेडा के शासी निकाय से अनुमोदन की प्रत्याशा में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं (सोलर होम लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, पेयजल पंप, सोलर टेलीविजन, सोलर ट्राईसाइकिल को छोड़कर) हेतु वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की दरें आगामी आदेश तक संलग्न परिशिष्ट अनुसार जारी की जाती हैं।

सूचनार्थ प्रेषित !

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय के अनुमोदन से जारी)

संलग्न :- परिशिष्ट ।


31/7/23

(राजीव ज्ञानी)

अधीक्षण अभियंता (प्रशासन)

रायपुर, दिनांक: 31 JUL 2023

क्रमांक 6241 / क्रेडा / अनुदान / सा.प्रशा. / 2023-24

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता (RE-II/III/IV/V) क्रेडा, प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
2. नियंत्रक वित्त एवं लेखा, क्रेडा प्रधान कार्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।
3. सहायक लेखाधिकारी / लेखा प्रभारी, क्रेडा, प्रधान / क्षेत्रीय कार्यालय (समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


31/7/23

अधीक्षण अभियंता (प्रशासन)

निरंतर.....



छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)

प्रधान कार्यालय

ऊर्जा शिक्षा उद्यान के पास, व्ही.आई.पी. रोड, रायपुर (छ.ग.)

Phone- 8370009923, E-Mail :- contact.creda.gov.in, Website:-www.creda.co.in

परिशिष्ट

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु वर्ष 2023-24 के लिये अनुदान की दरें :-

क्र.	संयंत्र/परियोजना (क्रेडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं माप दण्डों के अनुसार स्थापित होने पर)	राज्य अनुदान	राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)
1	सोलर पावर प्लांट (ऑफग्रीड) 01 से 10 kWp क्षमता तक न्यूनतम 7.2 Vah/W बैटरी के साथ	₹28/-प्रति वॉट	समस्त घरेलू (10 कि.वॉ. क्षमता तक), शासकीय, सामुदायिक, व्यावसायिक, संस्थागत
	7.2 Vah/W से 3.6 Vah/W क्षमता की बैटरी के साथ	₹22/-प्रति वॉट	
2	सोलर पावर प्लांट (ऑफग्रीड) > 10 kWp to 25 kWp क्षमता तक न्यूनतम 7.2 Vah/W बैटरी के साथ	₹25/-प्रतिवॉट	समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)
	7.2 Vah/W से 3.6 Vah/W क्षमता की बैटरी के साथ	₹20/-प्रतिवॉट	
3	सोलर पावर पैक 1. 150 वॉट क्षमता 2. 300 वॉट क्षमता 3. 500 वॉट क्षमता	₹4,500/-प्रतिसंयंत्र ₹9,000/-प्रतिसंयंत्र ₹14,500/-प्रतिसंयंत्र	समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)
4	सोलर सिंचाई पम्प (05 एच.पी. तक)	₹50/-प्रति वॉट अथवा ₹2.00 लाख प्रति संयंत्र जो न्यूनतम हो	निजी कृषक, सामुदायिक एवं शासकीय
5	सौर जल शुद्धिकरण संयंत्र (न्यूनतम 900 वॉट मॉड्यूल, आर.ओ./आई.आर.पी./ एफ. आर.पी. यू.व्ही., वाटर ए.टी.एम./ कॉईनवेजिंग मशीन)	₹3,00,000/-प्रति संयंत्र	सामुदायिक एवं शासकीय
6	सोलर हाई मास्ट संयंत्र न्यूनतम 900 वॉट मॉड्यूल क्षमता व 9 मीटर ऊंचा तथा लिथियम फ़ैरो-फास्फेट बैटरी के साथ	₹1,50,000/-प्रति संयंत्र	सामुदायिक एवं शासकीय
7	ऑफग्रीड सोलर विण्ड हाई ब्रिड पावर प्लांट (05 कि.वॉट)	₹4,00,000/-प्रति संयंत्र	समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)
8	सौर सामुदायिक सिंचाई योजना (न्यूनतम 7.5 एच.पी. क्षमता का सोलर पम्प, संबंधित सिविल कार्य यथा-प्लेटफार्म/इन्टेकवेल्/बफरवेल्/सम्पवेल्, फ़ौसिंग कार्य, अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन के माध्यम से कृषक समूह को जल वितरण व्यवस्था, पंचवर्षीय संचालन-संभारण, ऑपरेटर एवं लाभार्थी प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित	₹1.8 लाख प्रतिहेक्टेयर	सामुदायिक (न्यूनतम 10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि)

निरंतर...

राजीव झानी

अधीक्षक अभियंता

क्रेडा, प्रधान कार्यालय रायपुर



छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)

प्रधान कार्यालय

ऊर्जा शिक्षा उद्यान के पास, व्ही.आई.पी. रोड, रायपुर (छ.ग.)

Phone- 8370009923, E-Mail :- contact.creda.gov.in, Website:-www.creda.co.in

// 2 //

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं हेतु वर्ष 2023-24 के लिये अनुदान की दरें:-

क्र.	संयंत्र/परियोजना (क्रेडा द्वारा निर्धारित क्षमता एवं माप दण्डों के अनुसार स्थापित होने पर)	राज्य अनुदान	राज्य अनुदान हेतु पात्रता (औद्योगिक इकाईयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी)	
9	सोलर कोल्ड स्टोरेज (न्यूनतम 04 कि.वॉट मॉड्यूल, 05 टन स्टोरेज क्षमता)	₹4,00,000/- प्रतिनग	कृषक समूह/शासकीय	
10	सोलर कुकर (बॉक्स एवं डिश टाईप)	₹3800/-प्रति वर्ग मीटर	समस्त हितग्राही (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)	
11	सोलर स्टीम कुकिंग/एयर कंडिशनिंग संयंत्र	₹3600/-प्रति वर्ग मीटर	केवल शासकीय/निजी संस्थानों हेतु	
12	सौर गर्म जल संयंत्र	संयंत्र (WDN रहित) स्थापना लागत की 50% राशि	केवल शासकीय संस्थानों/विभागों हेतु	
	सौर गर्म जल संयंत्र (मार्केट मोड योजना अंतर्गत)	FPC	₹3500/-प्रति वर्ग मीटर	समस्त (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, व्यावसायिक)
		ETC	₹3000/-प्रति वर्ग मीटर	
13	घरेलू (परिवार मूलक) बायोगैस संयंत्र क्षमता 2 से 6 घ. मी. (क्रेडा द्वारा अनुमोदित सभी मॉडलों पर)	₹9000/-प्रति संयंत्र	समस्त वर्गों के व्यक्तिगत हितग्राही	
	(अ) संस्थागत बायोगैस संयंत्र निर्माण पर थर्मल एवं पॉवर जनरेशन हेतु (न्यूनतम 10 घन मीटर)	₹6000/-प्रति घन मीटर	निजी गौशाला/डेयरियाँ/गौठान	
	(ब) संस्थागत बायोगैस संयंत्र निर्माण कर थर्मल उपयोग किये जाने पर	संयंत्र के निर्धारित लागत की 90 प्रतिशत	छ0ग0 गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशाला/डेयरियाँ/गौठान	
	(स) संस्थागत बायोगैस संयंत्र निर्माण कर पॉवर जनरेशन किये जाने पर	संयंत्र के निर्धारित लागत की 75 प्रतिशत		
14	"उन्नत चूल्हा कार्यक्रम" अंतर्गत बायोमास कुक स्टोव्ड (MNRE अनुमोदित मॉडल)		समस्त हितग्राही (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक, शासकीय, व्यावसायिक)	
	(अ) घरेलू	(i) Natural Draft		₹300/-प्रति संयंत्र
		(ii) Forced Draft		₹600/-प्रति संयंत्र
	(ब) सामुदायिक	(i) Natural Draft		₹1000/-प्रति संयंत्र
		(ii) Forced Draft		₹2000/-प्रति संयंत्र

(राजीव ज्ञानी)

अधीक्षण अभियंता (प्रशासन)